"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 284] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 4 नवम्बर 2010—कार्तिक 13, शक 1932

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-34/दो-गृह/रापुसे/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सशस्त्र कार्यपालिक बल (सी.ए.एफ.), आरक्षक (जनरल ड्यूटी) एवं आरक्षण ट्रेड (कुशल/अकुशल) (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

नियम 7 के उपनियम (6) के खण्ड (पांच) का लोप किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ल, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ 2-34/दो-गृह/रापुसे/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 04-11-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ल, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th November 2010

NOTIFICATION

No. F 2-34/2-Home/SPS/2008.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Armed Executive Force (C.A.F.), Constable (General Duty) and Trade Constable (Trained/Untrained) (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules,—

Clause (v) of sub rule (6) of Rule 7 shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
N. K. SHUKLA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.